

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, कारखाना एवं बायलर्स, (एस.एम.टी.सी.)
सी-6, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, कॉमर्स कालेज के पीछे, जयपुर

Website: www.rajfab.nic.in

टेलिफोन नम्बर 0141-2707319

Web Portal: www.rajfab.rajasthan.gov.in


विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा माह अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 तक आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण का समय: प्रातः 10.30 बजे से साँय 4.30 बजे तक

दिनांक	दिन/वार	कार्यक्रम का विषय	प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता
12-10-2020	Mon	Confined Space Safety सीमित स्थानों में कार्य सम्बन्धी सुरक्षा	सभी संबन्धित कारखानों में कार्यरत प्रबन्धक, सुरक्षा अधिकारी, मेन्टेनेन्स इन्जिनियर, शिफ्ट इन्जिनियर, सुपरवाइजर एवं श्रमिक
21-10-2020	Wed	Machines Safety & Its Guarding मशीनों की सुरक्षा एवं गार्डिंग	
29-10-2020	Tues	Safety in Use of Pressure Vessels & Lifting Tools प्रेसर वैशल्स एवं लिफ्टिंग उपकरणों के प्रयोग के दौरान सुरक्षा	
05-11-2020	Tues	Safety during Height & Construction Work ऊँचाई एवं निर्माण कार्य में सुरक्षा	
09-11-2020	Mon	Hazards Identification, Risk Assessment and Their Control खतरों की पहचान, रिस्क निर्धारण एवं नियंत्रण के उपाय	
26-11-2020	Tues	Safety in Engineering Industries इंजिनियरिंग उद्योगों में सुरक्षा	
04-12-2020	Fri	Fire Safety in Industries कारखानों में आग से सुरक्षा	
10-12-2020	Wed	Safety in Chemical Storage & its Handling रसायनों के भंडारण एवं इसके रखरखाव में सुरक्षा	
17-12-2020	Wed	Occupational Risks & their Controls व्यवसाय जनित खतरे और आपात कालीन नियंत्रण योजना	

- उपरोक्त विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के अन्त में उपस्थिति प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
- प्रशिक्षण कलेन्डर में दिये गये विषयों पर यदि कोई व्यक्ति वार्ता देने का इच्छुक हो तो सात दिवस पूर्व निम्न ई-मेल dy.director.smtc@rajasthan.gov.in, asstdirector.smtc@rajasthan.gov.in पर सूचित करें।
- प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य सभी विवरण अगले पृष्ठ पर उपलब्ध हैं।

नोट – कोविड 19 महामारी की वजह से 100 कर्मकारों वाले कारखाने से अधिकतम 1 कर्मकार एवं 100 से अधिक कर्मकारों वाले कारखाने से अधिकतम 2 कर्मकारों को ही प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जाये जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके।


(ऋषभ कुमार जैन)
उप निदेशक, एस.एम.टी.सी.,
कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर